संख्याः 1655 / 9–आ–3–97–38(विविध) / 97

प्रेषक,
दिवाकर त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 05 मई, 1997

विषयः एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

शासन द्वारा एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में यह प्रक्रिया निर्धारित है कि एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति 3 वर्ष के लिए दी जाती है और तत्पश्चात् एक–एक वर्ष का 3 नवीनीकरण अनुमन्य किया जाता है। यह देखा गया है कि नवीनीकरण के मानचित्र भारी संख्या में विकास प्राधिकरणों में लम्बित हो गये हैं। नये योजनाओं के विकसित भूखण्डों में भवन निर्माण हेतु प्रायः 5 वर्ष की अवधि अनुमन्य रहती है और उसके बाद ''लेबी'' चार्ज करके निर्माण हेतु अग्रेतर अनुमति दी जाती है। इसी के समरूप मानचित्रों के निस्तारण एवं जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति की अवधि 5 साल तक वैध कर दी जाये और तत्पश्चात् एक–एक वर्ष का 3 नवीनीकरण अनुमन्य कर दिया जाये।

अतः श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना एंव विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 की उपधारा–1 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन यह निर्देश देते हैं कि एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जाये तत्पश्चात् एक–एक वर्ष का 3 नवीनीकरण अनुमन्य कर दिया जये। जिन एकल आवास भवन मानचित्रों की 3 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है किन्तु 5 वर्ष नहीं हुए हैं वे भवन मानचित्र स्वतः 5 वर्ष तक वैध हो जायेंगे और उसके पश्चात नवीनीकरण के उपरान्त ही निर्माण अनुमन्य किया जायेगा। कृपया उक्त व्यवस्था का व्यपक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें ताकि जनसामान्य को जानकारी हो सके।

भवदीय,

दिवाकर त्रिपाठी
विशेष सचिव

पृष्ठ संख्याः 1655(1) / 9–आ–3–38 विविध / 97, तददिनांक

उपरोक्त की एक प्रति आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश में की गयी उक्त व्यवस्था को परिषद बोर्ड के अनुमोदन से तत्काल लागू कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

दिवाकर त्रिपाठी
विशेष सचिव